



गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय

(पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय)

पत्रांक: गौ०बु०प्रा०वि० / कुस०का० / एके० / 2013 / 12983-13320 लखनऊ: दिनांक: 29 अगस्त, 2013

सेवा में,

- 1 प्रो० जगवीर सिंह, अध्यक्ष
राजकीय वास्तुकला महाविद्यालय,
फैकेल्टी आफ आर्कीटेक्चर,
लखनऊ।
- 2 प्रो० रघवीर कुमार, निदेशक, सदस्य
बी०बी०डी०, एन०आई०टी०एम०,
लखनऊ।
- 3 प्रो० बी०के० सिंह सदस्य
निदेशक,
एस०एम०एस० इंजी० कालेज, लखनऊ।
- 4 प्रो० रघुराज सिंह, सदस्य
एच०बी०टी०आई०, कानपुर।
- 5 डा० अरुणिमा डे, सदस्य
आई०ई०टी०, लखनऊ।
- 6 डा० राजीव कक्कड़, सदस्य
फैकेल्टी आफ आर्कीटेक्चर,
लखनऊ।

विषय : रैगिंग निषेध नियन्त्रण प्रकोष्ठ (Anti Raging Monitoring Cell) के गठन के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि दिनांक 11.07.2013 को प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा रैगिंग निषेध नियन्त्रण प्रकोष्ठ का गठन किया जा रहा है। रैगिंग निषेध नियन्त्रण प्रकोष्ठ द्वारा प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग की समस्या के रोकथाम हेतु सम्यक उपायों के साथ समीक्षा कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने संबंधी मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश संख्या: 370/04/XI A, दिनांक 12 जून, 2009 के क्रम में शासन के पत्र संख्या: 1835/सोलह-1-2009- 1-250/96 दिनांक 03 सितम्बर, 2009 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा। रैगिंग निषेध नियन्त्रण प्रकोष्ठ संस्थाओं का आकस्मिक निरीक्षण कर सकेगी, जिसमें संस्थाओं के स्तर पर निर्देशित व्यवस्थाओं के गठन एवं अनुपालन की स्थिति की जानकारी के साथ-साथ रैगिंग की कोई घटना घटित तो नहीं है, के लिए अनुश्रवण किया जायेगा। इस संबंध में विश्वविद्यालय के पत्र संख्या: गौ०बु०प्रा०वि० / कुस०का० / एके० / 2013 / 11059-11390, दिनांक 06.08.2013

द्वारा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थाओं से इस विषय में तदनुसार व्यवस्था सुनिश्चित कराने की अपेक्षा की गई है। रैगिंग नियंत्रण सेल भी इस संबंध में कारगर कदम उठाये और कहीं से कोई रैगिंग की शिकायत प्राप्त हो तो तत्काल वहां जाकर निरीक्षण किया जाए ताकि रैगिंग की घटनायें बिल्कुल न हो।

उक्त की सूचना के साथ आपसे यह भी अनुरोध है कि रैगिंग की रोकथाम हेतु प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति की दिनांक 11.07.2013 को सम्पन्न बैठक के संबंध में शासन के पत्रांक: 2261/सोलह-1-2013-250/96 टी०सी० दिनांक 06.08.2013 के द्वारा निर्देशित निम्नलिखित पांच बिन्दुओं पर भी आवश्यक कार्यवाही की जाए:-

1. शैक्षिक सत्र 2013-14 में संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले नवीन छात्रों में से शीर्ष 10 रैंक वाले छात्रों, जिसमें 05 छात्राएं सम्मिलित हों, को विशेष रूप से संस्थान की रैगिंग रोकने हेतु बनायी गयी सतर्कता समिति में सम्मिलित किया जाए।
2. उक्त सतर्कता समिति की बैठकों में छात्रों से प्राप्त फीडबैक को गोपनीय रखा जाए तथा उसे ध्यान में रखते हुए संस्थान में रैगिंग रोकने के सभी प्रभावी उपाय सुनिश्चित कराए जाए।
3. सभी नये छात्रों को एस०एम०एस० की सुविधा प्रदान की जाए तथा छात्रों से प्राप्त किसी भी सूचना पर संस्थान स्तर पर त्वरित कार्यवाही करायी जाए।
4. संस्थान के प्रत्येक हास्टल में हास्टल वार्डन की अध्यक्षता में की रैगिंग रोकने हेतु सतर्कता समिति बना दी जाए तथा इसमें छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करायी जाए।
5. जिला स्तर पर गठित एन्टी रैगिंग समिति की बैठकें नियमित रूप से कराते हुए जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग की रोकथाम हेतु सभी आवश्यक उपाय ससमय सुनिश्चित कराए जाए। यदि किसी भी संस्थान में कोई घटना प्रकाश में आती है तो उसके संबंध में त्वरित कार्यवाही करायी जाए।

समिति से अनुरोध है कि कृपया विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थाओं के अन्तर्गत तदनुसार व्यवस्था सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(यू०एस० तोमर)
कुलसचिव

पृष्ठांकन सं० व दिनांक-उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ को शासन के पत्र संख्या: 2261/सोलह-1-2013-250/96 टी०सी० दिनांक 06.08.2013 के संदर्भ में।
2. प्राचार्य/निदेशक, गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ से सम्बद्ध समस्त संस्थाएं।
3. वित्त अधिकारी, गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
4. स्टाफ आफिसर, गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।

(यू०एस० तोमर)
कुलसचिव